



परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों पर RBI की रपिोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने **परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (ARCs)** पर अपनी रपिोर्ट में कहा है कि **ARC उद्योग की वृद्धिसमय के साथ लगातार नहीं हुई है। गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** और बैंक की **गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ (NPA)** के आँकड़े सदैव एक समान नहीं रहे हैं।

- हालाँकि इसने एक नए **ARC** के लिये सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह की इकाई परसिंपत्तसंकल्प तंत्र को और मज़बूत करेगी।

प्रमुख बडिु:

परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनी (ARC) के बारे में:

- यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें।
 - जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर-नषिपादित परसिंपत्तमाना जाता है।
- यह बैंकों को सामान्य बैंकगि गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।
- **सकियोरटिइज़ेशन एंड रकिंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोरसमेंट ऑफ सकियोरटि इंटेरेस्ट एक्ट (SARFAESI) Act, 2002** भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
 - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-नषिपादनकारी संपत्तिका पुनर्रिमाण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया।
- RBI को ARCs को वनियमिति करने की शक्ति मिली है।

ARC उद्योग का विकास:

- **ARC की संख्या:** ARC उद्योग वर्ष 2003 में परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनी इंडिया लिमिटेड (ARCIL) की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में सामान्य स्थिति रही लेकिन वर्ष 2008 में और वर्ष 2016 में ARC की संख्या में गिरावट देखी गई।
- **कुछ ARCs के बीच व्यवसाय की एकाग्रता:** उद्योग में प्रबंधन के तहत परसिंपत्त (AUM) और सुरक्षा प्राप्ति (SRs) के संदर्भ में ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - जब वाणज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों की गैर-नषिपादित संपत्तियों को वसूली के उद्देश्य से ARC द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है तब ARCs द्वारा प्रतभूति 'रिसेप्ट्स' जारी की जाती है।
 - AUMs को सुरक्षा प्राप्ति (SRs) की बकाया राशिकी मदद से मापा जा सकता है।
- **प्रबंधन के तहत परसिंपत्त (AUM) में गिरावट:** वित्त वर्ष 2014 में प्रमुख बढ़ोतरी को छोड़कर ARCs' AUM में वृद्धिकाफी हद तक रूझानहीन रही है।
 - वित्तीय वर्ष 2013-14 के आसपास AUM में उच्च वृद्धिकाकी अवधिका अलावा, बैंकों और गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों के NPA की मात्रा की तुलना में ARC का AUM एक गिरावट की प्रवृत्तिका दर्शाता है।
 - **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा ARC परसिंपत्तिका बिक्री में गिरावट** आई है, जो संभवतः बैंकों के अन्य रजिऑल्यूशन चैनलों जैसे **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC)** और SARFAESI के कारण हो सकती है।

भारत के ARC संबंधित मुद्दे:

- भारतीय ARC रज़िर्व बैंक के साथ पंजीकृत नजि क्षेत्र की संस्थाएँ हैं। अन्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के AMC ने अक्सर सरकारी धन या सरकार-समर्थित सुविधाओं की आसान पहुँच बनाता है।

- भारत में ARC के लिये पूंजी की कमी को अक्सर चर्चा के रूप में उजागर किया गया है।
- इन कंपनियों के पूंजी आधार को व्यापक बनाने और इस तरह से वनियामक छूट के बावजूद वे मुख्य रूप से पूंजी के घरेलू स्रोतों (वर्षीय रूप से बैंकों) पर निर्भर हैं।
- बैंक ARC को NPA की आपूर्ति करते हैं, इन संस्थाओं में हस्तिसेदारी रखते हैं और उन्हें उधार भी देते हैं, **जब बैंकों और इन संस्थानों के बीच नधियों के चक्रीय गतिपर नगिरानी करना आवश्यक बनाता है।**

नए ARC के बारे में:

- कोविड-19 महामारी के बाद **गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों और बैंकों की परसिंपत्त गुणवत्ता** में सुधार ARC को अत्यधिक केंद्रित कार्रवाई में बदल सकता है अर्थात् कोरोना वायरस महामारी से संबंधित वनियामक छूट हटाए जाने के बाद बैंकों की गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों (NPAs) में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है।
- **बजट में प्रस्तावित ARC राज्य के स्वामित्व वाले और नज्जी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसमें केंद्र का कोई इक्वटी योगदान नहीं होगा।**
 - ARC जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) होगी, खराब परसिंपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिये कार्य करेगी और **इन्हें 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त संपत्तियों को हल** करने के लिये लगभग 70 बड़े खातों को सुलझाने होंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA की पहचान करने के लिये एक **नई परसिंपत्त पुनर्निर्माण कंपनी की शुरुआत भी मौजूदा ARCs के संचालन** को आकार दे सकती है।
- भारतीय ARC उद्योग में “बेहतर पूंजीकृत और बेहतर डिजाइन के साथ तैयार की गई इकाई” के प्रवेश के लिये एक **संभावना परलक्षित** हुई है और इस तरह के निकाय परसिंपत्त संकल्प तंत्र को और मजबूत करेंगे।

ARC पर समिति:

- RBI ने **सुदर्शन सेन की अध्यक्षता** में एक समिति का गठन किया है जो वित्तीय क्षेत्र के पारस्थितिकी तंत्र में परसिंपत्त पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिये तथा बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें सक्षम करने हेतु कुछ उपायों की सफिराशि करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस